

पत्रांक 15/पी 5 -01/2016

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि०प्र०से०  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

\*द्वारा :-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक

2017

विषय:

वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत राज्यांश के रूप में रू० 17,74,66,667/- (सतरह करोड़ चौहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ रू०) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में रू० 17,74,66,667/- (सतरह करोड़ चौहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ रू०) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष - 2202 - सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष 102 विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, विपत्र कोड 21-2202031020323, PFMS CODE- 9170, विषय शीर्ष 0323. 31. 05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जाएगा।

3. उल्लेखनीय है कि इस स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में निम्नवत् राशि स्वीकृत की गई है :-

क्र०	भारत सरकार का पत्रांक/दिनांक	राशि
01	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHMULTI-GEN) dated 30.03.2017	12,49,30,000 /-
02	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHMULTI- SC) dated 30.03.2017	2,41,80,000 /-
03	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHMULTI- ST) dated 30.03.2017	1,20,90,000 /-
04	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU & C-GEN) dated 27.06.2017	8,13,75,000 /-
05	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU & C-SC) dated 27.06.2017	1,57,50,000 /-

06	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGU & C-ST) dated 27.06.2017	78,75,000 /-
	कुल	26,62,00,000 /-

स्पष्टतः केन्द्र सरकार द्वारा इस स्कीम के लिए केन्द्रांश के रूप में कुल रू0 26,62,00,000 /- (छब्बीस करोड़ बासठ लाख) मात्र प्राप्त हुआ है। जिसके विरुद्ध राज्यांश के रूप में 40% राशि अर्थात् रू0 17,74,66,667 /- (सतरह करोड़ चौहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ रू0) मात्र स्वीकृत की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस स्कीम के तहत केन्द्र एवं राज्य की देयता 60:40 के अनुपात में निर्धारित है।

4. उक्त स्वीकृत की जा रही राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड़, पटना की जाएगी एवं एकमुश्त बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक को उपलब्ध कराई जाएगी, जो इस राशि का व्यय कंडिका 3 में वर्णित भारत सरकार के पत्र में निहित निदेशों एवं वर्णित योजनाओं के लिए करेंगे।

5. राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा राशि संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के खाते में इस स्कीम के मार्गदर्शिका के अनुसार अंतरण की जाएगी। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को राशि अनुमोदित संस्थागत विकास योजना के अनुसार ही विमुक्त किया जाएगा।

6. स्वीकृत होने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा राज्य सरकार को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत राशि से होने वाले योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसकी गुणवत्ता के लिए संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/कुलसचिव/कुलपति एवं राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के परियोजना निदेशक पूर्णतः जिम्मेवार होंगे एवं किसी प्रकार के कदाचार की स्थिति में विभाग नियमानुकूल कार्रवाई कर सकेगी।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/पी 5-01/2016 में दिनांक 06.11.2017 को पृष्ठ 173/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका 7 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877-907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।


9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

- 10. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।
- 11. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।
- 12. प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,  
 ह0/-  
 (अरशद फिरोज)  
 सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5-01/2016 54 पटना, दिनांक 9/11 /2017

प्रतिलिपि -विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना/राज्य परियोजना निदेशक-सह-सदस्य सचिव, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी- 05 एवं 15 एवं रोकड़पाल, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
 (अरशद फिरोज)  
 सरकार के उप सचिव